यूपीसीडा का ग्राउण्ड एफएआर भी बड़ा होगा

लखनऊ, विसं। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों को अधिक से अधिक सहूलियत देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) 2018 से लागू अपने भूमि विकास एवं भवन विनियमन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब उद्यमियों, निवेशकों और बिल्डरों को बहुत बड़ा लाभ देते हुए यूपीसीडा के एफएआर को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, गीडा के साथ ही अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के एफएआर के समतुल्य किया जाएगा।

यूपीसीडा द्वारा भूमि विकास एवं भवन विनियमन-2024 तैयार किया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव एवं आईडीसी मनोज सिंह, सीईओ यूपीसीडा मयूर महेश्वरी, सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक शामिल हुए। यूपीसीडा के क्षेत्रों में उद्यमियों, निवेशकों और बिल्डरों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए यूपीसीडा का ग्राउण्ड कवरेज एफएआर बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

कारोबार के लिए मिलेंगे साझीदार

कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब 'ई-मार्केट प्लेस' की लांचिंग करने जा रहा है। यह ऐसा ई-प्लेटफॉर्म होगा जिस पर आप अपने कारोबार के लिए साझीदार के विकल्प मिलेंगे। उन साझीदारों का पूरा विवरण होगा। जिसे आप चाहेंगे साझीदार बनाकर अपने कारोबार को रफ्तार दे सकेंगे।